बख्शीश कौर, न्यायमूर्ति के समक्ष

बद्री परशाद - याचिकाकर्ता

बनाम

बीरबल और अन्य — उत्तरदाताओं

संशोधन याचिका 1999 की संख्या 4393
29 नवंबर, 2001

पंजाब भूमि किरायेदारी सुरक्षा अधिनियम, *1953*-धारा *25*-याचिकाकर्ता की भूमि को अधिशेष घोषित किया गया-किरायेदार को अनुमेय क्षेत्र से बेदखल किया गया-किरायेदार ने राजस्व न्यायालय और सिविल न्यायालय के समक्ष सभी उपायों का असफल लाभ उठाया-किरायेदार ने पिछले मुकदमे का संदर्भ दिए बिना एक और नागरिक मुकदमा दायर किया-ट्रायल कोर्ट ने प्रारंभिक निर्णय लिया याचिकाकर्ता के विरुद्ध क्षेत्राधिकार का मुद्दा-उसे चुनौती- *1953* अधिनियम का धारा *25*-इस तरह के मुकदमे राजस्व प्राधिकारी के आदेश के ख़िलाफ़ है उसकी सुनवाई और मनोरंजन के लिए सिविल न्यायालय के अधिकार क्षेत्र को रोकता है। -याचिका को किरायेदार के मुकदमे को खारिज करते समय लागत के साथ अनुमति दी गई।

माना गया कि वादी ने राजस्व अदालतों के समक्ष उपलब्ध सभी उपायों का असफल लाभ उठाया है। प्रतिवादी ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष अपील और पुनरीक्षण दायर करके अपने लिए उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाया और जिसके परिणामस्वरूप उसके मामले खारिज हो गए, आदेश पारित होने के 35 साल बाद घोषणा के लिए मुकदमा दायर करके सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का उपयोग नहीं किया जा सकता है। किरायेदार ने राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ सिविल कोर्ट के समक्ष पार्टियों के बीच चल रहे पिछले मुकदमे के तथ्य का खुलासा न करके महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया था। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि जब एक सक्षम प्राधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित किया है और वह शून्य नहीं है, तो सिविल कोर्ट के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

पैरा (28)

संजय बंसल याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

आभा राठौड़, प्रतिवादी की अधिवक्ता

बद्री परशाद बनाम. बिरबल और एक अन्य
(बख्शिश कौर, न्यायमूर्ति)
निर्णय

बख़्शीश कौर, न्यायमूर्ति

(1) बद्री पार्षद ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत एक आदेश जारी करने, या अतिरिक्त जिला न्यायाधीश सिरसा द्वारा पारित आदेश दिनांक 2 अगस्त, 1999 (अनुलग्नक पी-14) और अतिरिक्त सिविल न्यायाधीश (सीनियर डिवीजन), डबवाली द्वारा पारित आदेश दिनांक 19 जुलाई, 1997 (अनुलग्नक पी-12)को रद्द करने/रद्द करने का निर्देश देने के लिए यह पुनरीक्षण याचिका दायर की है

(2) इस याचिका को जन्म देने वाले तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:

(3) याचिकाकर्ता एक बड़ा ज़मीन मालिक था। याचिकाकर्ता के अधिशेष क्षेत्र मामले का फैसला कलेक्टर, अधिशेष क्षेत्र, सिरसा द्वारा 28 सितंबर, 1961 को किया गया, जिससे अधिनियम द्वारा अनुमत 60 साधारण एकड़ भूमि को भूमि मालिकों के लिए अनुमेय क्षेत्र के रूप में आरक्षित कर दिया गया।

(4) 12 दिसंबर 1968 को, बीरबल-प्रतिवादी संख्या 1 ने 125 कनाल 17 मरला भूमि की खरीद के लिए एक आवेदन दायर किया जो उसके कब्जे में थी। यह भूमि याचिकाकर्ता के स्वामित्व में थी और अनुमेय क्षेत्र के रूप में छोड़े गए 60 सामान्य एकड़ का हिस्सा थी।

5.सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी, सिरसा ने पंजाब सुरक्षा अधिनियम, 1953 की धारा 18 के तहत पूर्वोक्त आवेदन को ख़ारिज कर दिया था आदेश की अनुलग्नक पी -1 है। इस आदेश ने अंतिमता प्राप्त की क्योंकि प्रतिवादी सं. 1. कोई अपील दायर नहीं की थी।याचिकाकर्ता ने तब एक आवेदन दायर किया प्रतिवादी नंबर 1 के निष्कासन के लिए, जिसे सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी द्वारा अनुमति दी गई थी , सहायक कलेक्टर प्रथम श्रेणी ने अपने आदेश को 3 सितंबर, 1974 को दर्ज किया।वह 125 कनाल 12 मरला भूमि से बेदखल करने का आदेश दिया गया था। चूंकि प्रतिवादी सं. 1. शेष भूमि के संबंध में किराया नहीं दिया ।, जिसके लिए उसके निष्कासन का आदेश दिया गया था, याचिकाकर्ता फिर किराये का भुगतान न करने की जमीन पर बेदखल करने के लिए एक आवेदन दायर किया , जिसे सहायक कलेक्टर दूसरा ग्रेड द्वारा 21 जनवरी, 1983अनुमति दी गई थी ।.

(6) उत्तर क्रमांक 1, दिनांक 3 सितंबर 1974 के आदेश से दुखी ने कलेक्टर, डाबावली के समक्ष एक अपील को प्राथमिकता दी, जिसे 11 नवंबर, 1975 को खारिज कर दिया गया था।इसके बाद, अधिनियम के तहत कोई अपील उसके द्वारा दायर नहीं की गई थी. उसने 21जनवरी, 1983 तारीख के सहायक कलेक्टर द्वितीय श्रेणी के आदेश के खिलाफ कलेक्टर, डाबावली के समक्ष अपील दायर की। सहायक कलेक्टर ने वह भी, 4 जनवरी, 1985 को बर्खास्त कर दिया गया था. इस प्रकार, दोनों आदेशों को 11 नवंबर, 1975 और 4 जनवरी, 1985 को अंतिम रूप मिला था।

(7) अस्वीकृति के आदेश के पारित होने के बाद भी उत्तरदाताओं ने, भूमि को खाली नहीं किया था।अंदर रहने की दृष्टि से भूमि का अनधिकृत कब्जा जिसे अधिशेष घोषित किया गया है ।भूमि स्वामी का सेवा क्षेत्र होने के लिए, उन्होंने 1989 के सिविल सूट नं. 123 ने घोषणा की कि वह कब्जे में है 1/4th `बाताई"

के भुगतान पर सूट भूमि की संख्या 125 कनाल 12 मरला और आदेश देने वाले राजस्व न्यायालयों / अधिकारियों द्वारा पारित आदेश बेदखल करने वाला अवैध था, और ख़ारिज करने के लिए उत्तरदायी था,. यह मुकदमा 26 अक्टूबर, 1989 को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि यह न केवल था समय के साथ वर्जित लेकिन सिविल कोर्ट को कोई अधिकार क्षेत्र नहीं मिला ।सूट. (अनुलग्नक पी -6). सिविल कोर्ट फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई ।

(8) उत्तर वादी संख्या 1 ने , 30 वर्षों की चूक के बाद, ने 28 सितंबर, 1961 को कलेक्टर — उत्तरदाता नंबर 2, के आदेश के ख़िलाफ़ कमिश्नर, हिसार डिवीजन, हिसार के समक्ष अपील दायर की यह अपील 22 अप्रैल, 1994 को खारिज कर दी गई ।

(9) उस आदेश से व्यथित होकर, उन्होंने वित्तीय आयुक्त के समक्ष एक पुनरीक्षण को प्राथमिकता दी, जिसे भी 18 अप्रैल, 1996 को खारिज कर दिया गया।

(10) अधिनियम के तहत उनके पास उपलब्ध सभी उपचारों का उपयोग करने के बाद, उन्होंने राजस्व अधिकारियों द्वारा पारित पिछले आदेशों का संदर्भ दिए बिना, 22 फरवरी, 1996 को फिर से 1996 का एक सिविल मुकदमा संख्या 298 दायर किया। याचिकाकर्ता, जो मुकदमे में ट्रायल कोर्ट के समक्ष प्रतिवादी है, ने एक लिखित बयान दायर किया था और रखरखाव, मुकदमा दायर करने की सीमा आदि के संबंध में प्रारंभिक आपत्तियां उठाई थीं। अन्य बातों के साथ-साथ यह दलील दी गई थी कि उसके पास मुकदमा दायर करने का कोई अधिकार क्षेत्र या कार्रवाई का कारण नहीं है। मुक़दमे मैं सभी पक्षों को सम्मिलित नहीं किया है। और वह ठीक इरादे से अदालत में नहीं आया हैं।उन्होंने न्यायालय से महत्वपूर्ण तथ्य छिपाये हैं। मुकदमा रेसजुडिकाटा के सिद्धांत द्वारा भी वर्जित है।

(11) पक्षों की दलीलों से उत्पन्न मुद्दे ट्रायल कोर्ट द्वारा तय किए गए थे। न्यायालय के क्षेत्राधिकार से संबंधित मुद्दों में से एक को प्रारंभिक माना गया था। इसे संख्या 5 के रूप में क्रमांकित किया गया और 19 जुलाई, 1997 को याचिकाकर्ता के खिलाफ निर्णय लिया गया। संलग्न आदेश की प्रति अनुलग्नक पी-6 है।

(12) आदेश से व्यथित होकर याचिकाकर्ता ने एक अपील दायर की थी जिसे 2 अगस्त, 1999 को विद्वान अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, सिरसा ने इस आधार पर खारिज कर दिया था कि यह सुनवाई योग्य नहीं है (अनुलग्नक पी-14)।

(13) याचिकाकर्ता ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत आदेश को रद्द करने या ख़ारिज करने की प्रार्थना की है।

(14) मैंने याचिकाकर्ता के लिए वकील श्री संजय बंसल और उत्तरदाताओं के लिए वकील श्रीमती आभा राठौड़ को सुना है और रिकॉर्ड को ध्यान से देखा है।

(15) श्री बंसल ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित 19 जुलाई, 1997 के आदेश के खिलाफ अपील दायर करने की सलाह दी गई थी। दरअसल, संहिता की धारा 115 के तहत पुनरीक्षण

याचिका या संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत याचिका दायर करना आवश्यक था।

(16) माना जाता है कि याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आदेश के खिलाफ की गई अपील को खारिज कर दिया गया क्योंकि प्रारंभिक मुद्दे पर निर्णय लेने वाला आदेश धारा 104 या सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 43 के तहत अपील योग्य नहीं था। विद्वान अतिरिक्त जिला. न्यायाधीश का यह भी विचार था कि मुद्दे संख्या 5 पर निर्णय कि सिविल कोर्ट को मुकदमे की सुनवाई करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, अंततः उस मुद्दे का फैसला नहीं करता है जो अभी भी लंबित है और इस प्रकार, विवादित आदेश अंतिम डिक्री के बराबर नहीं है आदेश जिसके विरुद्ध संहिता की धारा 96 के अंतर्गत अपील की जा सकती है।

(17) इसलिए, यह आग्रह किया जाता है कि यदि प्रथम अपीलीय न्यायालय का विचार था कि अपील संहिता की धारा 96 या धारा 104 या आदेश 43 के तहत सुनवाई योग्य नहीं है, तो न्यायालय को अपील को प्रस्तुत करने के लिए वापस कर देना चाहिए था अपील को खारिज करने के बजाय सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के समक्ष सुनवाई योग्य नहीं होने के कारण।

(18) अब इस न्यायालय के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की ओर ध्यान दिलाते हुए, क्या मुकदमे की पोषणीयता के संबंध में उठाई गई आपत्ति को नीचे के न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों के आधार पर देखा जा सकता है। इस संदर्भ में, "**इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, लिमिटेड बनाम ग्रेपको इंडस्ट्रीज लिमिटेड और अन्य[1]1)** का संदर्भ आसानी से दिया जा सकता है। यह देखा गया है कि उच्च न्यायालय पर स्वयं गुणों की जांच करने पर कोई रोक नहीं थी। यदि परिस्थितियों की आवश्यकता हो तो संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए मामले की सुनवाई करें। आगे यह माना जाता है कि, "इसमें कोई संदेह नहीं है कि उच्च न्यायालय अनुच्छेद के तहत न्यायालयों और न्यायाधिकरणों के अंतरिम आदेशों में भी हस्तक्षेप कर सकता है। संविधान की धारा 227 यदि आदेश क्षेत्राधिकार के बिना किया गया है। लेकिन फिर अत्यधिक तकनीकी दृष्टिकोण से बचना होगा।"

(19) कुछ इसी तरह की परिस्थितियों में, "**बेबी बनाम ट्रैवेनकोर देवासम बोर्ड और अन्य[2]2)**" में भी यही स्थिति उत्पन्न हुई थी। यह एक ऐसा मामला था जहां कराला भूमि सुधार अधिनियम के तहत विद्वान न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेश की अपीलीय अदालत द्वारा पुष्टि की गई थी, लेकिन उच्च न्यायालय ने अपीलीय प्राधिकरण के फैसले को इस आधार पर रद्द कर दिया था कि न्यायिक कार्यवाही सहित कई भौतिक दस्तावेजों पर ट्रिब्यूनल द्वारा विचार नहीं किया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी माना कि इन दस्तावेजों के कानूनी प्रभाव पर ट्रिब्यूनल द्वारा विचार नहीं किया गया था। इन आधारों पर यह तर्क दिया गया कि उच्च न्यायालय केरल भूमि की धारा 103 के तहत हस्तक्षेप करने का हकदार नहीं है सुधार अधिनियम. मामले में अपीलकर्ता द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, शीर्ष अदालत ने निम्नानुसार

---

[1] एआईआर 1975 एससी 1975

[2] एआईआर 1999 एससी 519

कहा:--
"लेकिन, हमारी राय में, यह मामले का अंत नहीं है। उच्च न्यायालय के पास अभी भी भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत ट्रिब्यूनल द्वारा पारित आदेशों को रद्द करने की शक्ति है, यदि तथ्यों के निष्कर्ष गैर-व्यक्ति द्वारा निकाले गए हों। प्रासंगिक और भौतिक दस्तावेजों पर विचार करना, जिन पर विचार करने से विपरीत निष्कर्ष निकल सकता था। भारत के संविधान के तहत उच्च न्यायालय की यह शक्ति हमेशा अधिनियम की धारा 103 के तहत संशोधन की शक्तियों के अतिरिक्त है। उस दृष्टिकोण से मामले में, उच्च न्यायालय ने न्यायाधिकरणों के आदेशों को सही ढंग से खारिज कर दिया। इसलिए, हम भारत के संविधान के अनुच्छेद 136 के तहत हस्तक्षेप नहीं करते हैं। अपील विफल हो जाती है और खारिज कर दी जाती है।

(20) मौजूदा मामले में भी प्रथम अपीलीय अदालत ने अपील को खारिज कर दिया, क्योंकि यह सुनवाई योग्य नहीं थी, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने मुद्दा संख्या 5, जिसे प्रारंभिक माना गया था, पर निर्णय करते समय प्रासंगिक और भौतिक दस्तावेजों और पहले से ही तथ्यों पर विचार नहीं किया था। रिकॉर्ड पर लाया गया.

(21) कुछ उदाहरणों को उद्धृत करने के लिए, बीरबल ने यह घोषणा करने के लिए एक सिविल मुकदमा संख्या 123/89 दायर किया था कि वह अपनी इच्छानुसार किरायेदार के रूप में 1/4 बटाई पर सूट भूमि पर कब्जा कर रहा है। उन्होंने पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट के तहत राजस्व न्यायालय और सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश को भी चुनौती दी थी। अनुलग्नक पी-6 के अनुसार मुकदमा खारिज कर दिया गया, कि सिविल कोर्ट का कोई क्षेत्राधिकार नहीं था, और यह समय से वर्जित है। 26 अक्टूबर, 1989 के इस फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं की गई।

(22) बीरबल-प्रतिवादी नंबर 1 ने यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा दायर किया था कि वह 15 अप्रैल, 1953 से पहले बद्री परशाद प्रतिवादी नंबर 2 और उनके पूर्ववर्ती के तहत किरायेदार "गैर-मौरूसी" के रूप में कब्जा कर रहा था। वह अवैध रूप से मुकदमे की भूमि पर भूमि अधिभोगी किरायेदार बन गया था, इसलिए, इस भूमि के आवंटन का हकदार था, लेकिन प्रतिवादी बद्री पार्षद ने प्रतिवादी नंबर 1 यानी कलेक्टर सरप्लस एरिया, सिरसा के साथ मिलीभगत करके 28 सितंबर, 1961 को अवैध रूप से आदेश पारित कर दिया।कानून और तथ्यों के विरुद्ध और बिना किसी नोटिस के और यहां तक कि याचिकाकर्ता को सुने बिना। अत: यह आदेश रद्द किये जाने योग्य है एक तरफ. उन्होंने यह भी प्रार्थना की थी कि प्रतिवादी नंबर 2 यानी बद्री परशाद को उन्हें बेदखल करने और मुकदमे की जमीन के लिए बटाई वसूलने से रोका जाए।

(23) यह स्पष्ट है कि वादी प्रतिवादी (बाद में प्रतिवादी के रूप में संदर्भित) राजस्व प्राधिकरण द्वारा पारित 28 सितंबर, 1961 के आदेश को चुनौती दे रहा है, क्योंकि उसके अनुसार, यह याचिकाकर्ता के साथ धोखाधड़ी और मिलीभगत करके पारित किया गया है। बद्री परशाद क्या इस आधार पर राजस्व प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को सिविल मुकदमे में चुनौती दी जा सकती है क्योंकि पंजाब सिक्योरिटी ऑफ लैंड टेन्योर्स एक्ट की धारा 25, मुकदमे की सुनवाई और मनोरंजन के लिए सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है। अधिनियम की धारा 25 इस प्रकार है -

बद्री परशाद बनाम. बिरबल और एक अन्य
(बख्शिश कौर, न्यायमूर्ति)
"धारा 25-धारा अधिनियम के तहत की गई किसी भी कार्यवाही या कार्रवाई पर विचार करने और निर्णय लेने के सिविल न्यायालयों के अधिकार क्षेत्र पर रोक लगाती है"।

(24) मौजूदा मामले में, वादी ने राजस्व अदालतों के समक्ष उपलब्ध सभी उपायों का असफल लाभ उठाया है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि कलेक्टर, सरप्लस एरिया, सिरसा द्वारा 28 सितंबर, 1961 को पारित आदेश, जिसे सिविल सूट में चुनौती दी जा रही है, को प्रतिवादी द्वारा अपील दायर करके भी चुनौती दी गई थी, 22 अप्रैल, 1994 को आयुक्त, हिसार मंडल, सिरसा, क्या आदेश द्वारा ख़ारिज कर दिया गया आदेश की प्रति अनुलग्नक पी-7 है।

(25) आयुक्त द्वारा पारित आदेश को वित्तीय आयुक्त, हरियाणा के समक्ष चुनौती दी गई और इसे आदेश अनुलग्नक पी-8 के अनुसार 18 अप्रैल, 1996 को खारिज कर दिया गया। इस प्रकार, जहां राजस्व न्यायालयों ने पहले ही निष्कर्ष दर्ज कर लिया है, सिविल न्यायालय ने भी अनुबंध पी-6 के माध्यम से प्रतिवादी के खिलाफ मुकदमे का फैसला किया है कि क्या वादी प्रतिवादी कलेक्टर, अधिशेष क्षेत्र द्वारा पारित 28 सितंबर, 1961 के आदेश की वैधता को चुनौती दे सकता है। लगभग 35 वर्षों के बाद वर्ष 1996 में घोषणा के लिए सिविल मुकदमा दायर करने का तरीका? हरगिज नहीं। इसलिए, सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में उस मुकदमे पर विचार करना वर्जित है, जहां वादी खुद को बटाई पर किरायेदार होने का दावा करता है और राजस्व प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश अवैध है, जो याचिकाकर्ता के साथ मिलीभगत से पारित किया गया है।

(26) जीवन बनाम राम सरूप (मृत)[3]3) उनके क़ानूनी प्रतिनिधि के माध्यम से। पंजाब किरायेदारी अधिनियम के तहत एक मामला था और मुकदमे में वादी था यह दावा करते हुए कब्जे में मालिक होने की घोषणा की मांग की थी कि वह कब्जे वाले किरायेदार के रूप में सूट की जमीन पर कब्जा कर रहा है और नाममात्र किराए के भुगतान पर और पंजाब ऑक्यूपेंसी किरायेदारों (मालिकाना अधिकारों का निहितार्थ) के लागू होने पर पूर्ववर्ती-हित में भी है। अधिनियम, 15 जून, 1952 से प्रभावी, स्वतः ही वाद भूमि का मालिक बन गया था। इसलिए, यह देखा गया कि यह प्रश्न कि क्या वह अधिभोगी किरायेदार है, या अपनी इच्छा से किरायेदार है, का निर्णय केवल राजस्व न्यायालय द्वारा किया जाना है, न कि सिविल न्यायालय द्वारा। यह मुकदमा सिविल न्यायालय में विचारणीय नहीं है। यह भी देखा गया कि पंजाब अधिभोग किरायेदारों (स्वामित्व अधिकारों का निहितार्थ) 1952 की धारा 10 में प्रावधान है कि कलेक्टर, आयुक्त या वित्तीय आयुक्त द्वारा दिया गया प्रत्येक पुरस्कार या आदेश अंतिम होगा, और इसके तहत कोई कार्यवाही या आदेश नहीं लिया जाएगा। अधिनियम, किसी भी न्यायालय द्वारा या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के समक्ष प्रश्न में बुलाया जाएगा। इस प्रकार, धारा 10 किसी भी न्यायालय या किसी अधिकारी या प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र को कलेक्टर, आयुक्त या वित्तीय आयुक्त द्वारा दिए गए प्रत्येक

[3] 1998 (1) PLJ 38

पुरस्कार या आदेश की वैधता में जाने से रोकती है, जिस पर अंतिम निर्णय प्राप्त होता है।

(27) सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में भी उस मुकदमे पर विचार करना वर्जित है जिसमें 28 सितंबर, 1961 को पारित आदेश की वैधता को चुनौती दी गई है। मामले के तथ्य **सरूपा और अन्य बनाम पंचायती अखाड़ा, काला बड़ा उदासियान, थानेसर और अन्य[4]4)** के रूप में रिपोर्ट किए गए तथ्यों के समान हैं। उस मामले में वादी ने इस आशय की घोषणा के लिए एक मुकदमा दायर किया था कि कलेक्टर का 15 मार्च, 1961 का भूमि अधिशेष घोषित करने का आदेश और उसके बाद के आदेश भी अवैध, शून्य और अधिकार क्षेत्र के बिना हैं। मामले को सीमा के बिंदु पर निपटाते हुए, माननीय श्री न्यायमूर्ति वी.के. झांजी ने फैसले के पैरा 5 में निम्नानुसार कहा: - "

यह घोषणा करने के लिए एक मुकदमा कि भूमि अधिशेष घोषित करने वाला कलेक्टर का आदेश अवैध, शून्य और प्रारंभिक है, सीमा अधिनियम के किसी भी विशिष्ट अनुच्छेद द्वारा कवर नहीं किया गया है, और इसलिए, इसे अवशिष्ट अनुच्छेद के अंतर्गत आना चाहिए। अवशिष्ट अनुच्छेद 113 किसी मुकदमे को शुरू करने के लिए तीन साल की अवधि प्रदान की जाती है, जिसके लिए परिसीमा अधिनियम की अनुसूची में कहीं और कोई परिसीमा अवधि प्रदान नहीं की गई है। इस अवधि की गणना मुकदमा करने का अधिकार प्राप्त होने की तारीख से की जानी चाहिए। मुक़दमा चलाने का अधिकार का अर्थ है मुक़दमा चलाने का अधिकार कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से राहत प्राप्त करें"।

(28) प्रतिवादी ने राजस्व अधिकारियों के समक्ष अपील और पुनरीक्षण दायर करके अपने पास उपलब्ध सभी उपायों का लाभ उठाया और जिसके परिणामस्वरूप उसके मामले खारिज हो गए, *आदेश पारित करने के 35* वर्षों के बाद घोषणा के लिए मुकदमा दायर करके सिविल कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का आह्वान नहीं कर सकता है। बहस के दौरान यह भी बताया गया कि वादी ने राजस्व अधिकारियों के साथ-साथ सिविल कोर्ट के समक्ष पक्षों के बीच चल रहे पिछले मुकदमे के तथ्य का खुलासा न करके महत्वपूर्ण तथ्यों को छुपाया था। यह अच्छी तरह से तय है कि जब एक सक्षम प्राधिकारी अपने में निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करते हुए कोई आदेश पारित करता है और वह शून्य नहीं है, तो सिविल कोर्ट के पास मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं होगा।

(29) उपरोक्त कारणों से, इस याचिका को 5,000 रुपये के रूप में निर्धारित लागत के साथ अनुमति दी जाती है। याचिकाकर्ता के खिलाफ मुद्दा संख्या *5* तय करने वाला आक्षेपित आदेश रद्द किया जाता है। इसके परिणामस्वरूप, वादी-प्रतिवादी द्वारा दायर घोषणा का मुकदमा खारिज होना तय है क्योंकि सिविल कोर्ट को मुकदमे पर विचार करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं मिला है।

आर.एन.आर

अस्वीकरण*:* स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन

---

[4] 1998 (2) PLJ 635

और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

तुषार शर्मा

प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी, कैथल हरियाणा।